संख्या-59/2021/707/बावन-1-2021-01(98)/2013

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 2021**

विषयः- ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों के मानदेय/टी0ए0, डी0ए0 मद की वित्तीय वर्ष 2020-21 में समर्पित धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित बजट से पुन: आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-45/2021/634/बावन-1-2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें,जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत/तैनात ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों के मानदेय/टी0ए0, डी0ए0 की धनराशि रू0 197.20 लाख निर्गत की गयी, उक्त धनराशि व्यय न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में समर्पित कर दिया गया।

2- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-21/14/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 19.02.2021 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-अ0स0क0नि0 /156फैसि0मानदेय/2021-22, दिनांक 27.05.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के योजनान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यरत/तैनात 145 ब्लाक लैबिल फैसिलिटेटरों (मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत 11 ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटर+पी0एम0जे0वी0के0 योजनान्तर्गत तैनात 134 ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटर) के पारिश्रमिक/मानदेय/टी0ए0, डी0ए0 की धनराशि रू0 205.38381 लाख **(रूपये दो करोड़ पांच लाख अडतीस हजार तीन सौ इक्यासी मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-48 के सम्बन्धित लेखाशीर्षक-2235-0104-16 में प्राविधानित बजट रू0 500.00 लाख में से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(के0-100/रा0-00) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों की संख्या	भा0स0 द्वारा स्वीकृत प्रति माह कुल मानदेय/ टी0ए0, डी0ए0 की धनराशि	2020-21 में भा0स0 द्वारा 12 माह (मार्च 2021 तक) हेतु अवमुक्त मानदेय/ टी0ए0, डी0ए0 की धनराशि (केन्द्रांश)	प्रति माह मानदेय/ टी0ए0, डी0ए0 की धनराशि	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित मानदेय/ टी0ए0, डी0ए0 की कुल धनराशि (केन्द्रांश)	भा0 स0 की अवशेष धनराशि 5-7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विभिन्न जनपद /स्थान	मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत **11** ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटर	0.17000	295.80	0.17	205.38381	90.41619
		पी0एम0जे0वी0 के0 योजनान्तर्गत तैनात **134** ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटर					
	योग	145	**0.17000**	**295.80**	**0.17**	**205.38381**	**90.41619**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत योजना में भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार एवं **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2020/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में दिये गये दिशा-**निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4)- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5)- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7)- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(8)- मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत 11 ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों के पारिश्रमिक/मानदेय की उक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेविल फैसिलिटेटर की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु उपयोग किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9)- पी0एम0जे0वी0के0 योजनान्तर्गत तैनात 134 ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों के पारिश्रमिक/मानदेय की धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपयोग किया जायेगा।

(10)- सम्बन्धित जिलाधिकरी द्वारा भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके जनपद के सम्बन्धित ब्लाक में तैनात रहे/कार्यरत ब्लाक लेविल फैसिलिटेटर समुचित रूप से कार्य का निष्पादन किये थे/कर रहे है।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक के अनुदान सं0-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-104-एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में फैसिलिटेटर की नियुक्ति-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-920/दस-2021-2022, दिनांक 17.08.2021 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

संख्या- /2021/ 707(1)/बावन-1-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
7- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in